DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

जमीन पर होता रहा कब्जा, एएसआइ के कर्मचारियों में बंटा पैसा

पहली बार वर्ष 1993 में तुगलकाबाद किले की जमीन पर उठी थी कब्जे की बात

वी के शुक्ला • नई दिल्ली

तुगलकाबाद में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 800 साल पहले बनवाए गए तुगलकाबाद किले की जमीन से भू माफिया ने ही ऊंचाइयां नहीं चढ़ी हैं, बल्कि इस किले पर तैनात रहे अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी खूब लाभ लिया है। पूर्व में हुई मारपीट की घटनाओं को आधार बनाकर दिल्ली मंडल के वरिष्ठ अधिकारी यहां कार्रवाई करने से बचते रहे और यहां तैनात रहे अधिकारी और कर्मचारी माफिया से लाभ लेते रहे। इस बात को एएसआइ के पूर्व अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि बगैर स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से लगातार जमीन पर कब्जा होना जारी कैसे रह सकता है? 2661 बीघा जमीन में से अब 1500 बीघा ही नहीं अधिकतर पर अवैध कब्जा हो चुका है।

विधानसभा और लोकसभा में भी उठा था मुद्दा: इस जमीन के विवाद की जड़ में जाएं तो पहली बार 1993 के आसपास इस जमीन पर कब्जा होने की बात सामने आई थी, उस समय दिल्ली विधानसभा से लेकर लोकसभा में मुद्दा उठा, उस समय यह जमीन दिल्ली सरकार के पास थी। उस समय जमीन पर 1200 के करीब अवैध कब्जे थे। इसके बाद दिल्ली के एलजी के स्तर तय हुआ कि इस जमीन को एएसआइ को दे दिया जाए। मगर एएसआइ ने जमीन लेने से इंकार कर दिया, एएसआइ ने कहा कि दिल्ली सरकार जमीन अतिक्रमण हटाकर दे। बाद में 1995 में यह जमीन इस कमिटमेंट के साथ एएसआइ ने ले ली कि दिल्ली सरकार अतिक्रमण हटाएगी और एएसआइ इस जमीन पर अपना कब्जा लेती जाएगी।

> किला की जमीन को तत्कालीन एलजी के आदेश पर एएसआइ को सौंपा गया था, दिल्ली सरकार के तत्कालीन क्षेत्रीय जिला अधिकारी ने एलजी के सामने बैठक मे यह कमिटमेंट किया था कि जमीन वह खाली कराकर देंगे। मगर बाद मे दिल्ली सरकार ने ही बची हुई जमीन भी कब्जा करा दी। 1995 मे जब हम लोग वहा जमीन खाली कराने गए तो हमला हुआ। एएसआइ की टीम को माफिया ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा, एएसआइ के एक दर्जन लोग व चार अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए। आखिरकार जमीन कब्जामुक्त नहीं हुई।
>
> **डा धर्मवीर शर्मा**, पूर्व निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

> मै जब 1992-93 मे दिल्ली मंडल का अधीक्षण पुरातत्वविद था तो उस समय मेरे पास भी दिल्ली सरकार से यह जमीन ले लेने का प्रस्ताव आया था, उस समय इस जमीन पर 1200 से अधिक कब्जे थे। मैने मना कर दिया था कि जमीन हम तभी ले सकते है जब दिल्ली सरकार इस जमीन से अतिक्रमण हटाए, जमीन खाली करा कर ही ली जाएगी। मेरे दिल्ली से तबादला होने के बाद दूसरे अधिकारियों ने यह जमीन स्वीकार कर ली जो गलत फैसला था। इस जमीन से अतिक्रमण कभी हटाया ही नहीं जा सका।
>
> **डा बी आर मणि**, पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

जमीन पर गुलाब की खेती की थी योजना: तुगलकाबाद किले की जमीन पर गुलाब की खेती किए जाने की योजना बनाई गई। उस समय केंद्र सरकार के सामने एएसआइ ने प्रजेंटेशन दिया कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या में गुलाब लगाए जाएंगे कि आसमान से गुजरने वाले हवाई जहाजों से लोग इस इलाके को देखा करेंगे, मगर योजना आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि जमीन खाली नहीं हो सकी। कई बार यहां कार्रवाई करने गई टीम को माफिया ने खदेड़ा। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले में एएसआइ के भी कुछ लोग माफिया से मिले हुए थे जो मालामाल होते रहे। जिसके चलते यहां कभी भी कार्रवाई सफल नहीं हो सकी।

दिल्ली मंडल में अधीक्षण पुरातत्वविद रहे ये अधिकारी: धर्मवीर शर्मा दो बार दिल्ली के अधीक्षण पुरातत्वविद रहे। उनके समय ही 1995 में 2661 बीघा जमीन दिल्ली सरकार से एएसआइ को सौंपी गई। उनके बाद भानु प्रताप, ए के सिन्हा, डा के के मोहम्मद, डी एन डिमरी, एन के पाठक, वसंत स्वर्णकार, दलजीत सिंह, गुंजन श्रीवास्तव के बाद अब प्रवीण सिंह दिल्ली मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद हैं।

एम्स में शिवा रोड के किनारे बनी झोपड़ियों को हटाने के आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: एम्स मे शिवा रोड के किनारे विद्युत सबस्टेशन के पास बनीं झोपड़ियों को हटाने के निर्देश निदेशक एम श्रीनिवास की ओर से दिए गए है। इस बारे मे निदेशक की ओर से आदेश जारी किया गया है और एक हफ्ते मे रिपोर्ट देने को कहा गया है। निदेशक ने आदेश मे कहा है कि एम्स के पास समय-समय पर हुए निर्माण कार्यों के चलते ठेकेदारों ने अवैध रूप से यह झोपड़ियां बनवाई है।

सोमवार को भी चला अतिक्रमण रोधी अभियान

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : तुगलकाबाद किला इलाके में सोमवार को भी अतिक्रमण रोधी अभियान जारी रहा। हालांकि दोपहर में हुई वर्षा के चलते अभियान थोड़ा प्रभावित हुआ। वर्षा के चलते करीब दो घंटे तक बुलडोजर थम गया। अभियान पर तो वर्षा का असर दिखाई ही दिया। साथ ही इस दौरान स्थानीय लोगों की समस्या ने और भयंकर रूप ले लिया। घर तोड़े जाने के बाद कई लोग खुले में अपने घरों के मलबों पर प्लास्टिक व टिन से सिर को ढके बैठे दिखाई दिए।

आखिर वर्षो तक क्यों नहीं हो सकी कार्रवाई?

गौरतलब है कि साल 1995 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा तुगलकाबाद किला इलाके की 2661 बीघा जमीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआइ) को दी गई थी। जिसका कागजों में तो एएसआइ को कब्जा मिल गया लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। पिछले 25 सालों में धीरे-धीरे कर तुगलकाबाद किले की करीब 1500 बीघा जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा प्लाटिंग कर अवैध कब्जा करा दिया गया।

तुगलकाबाद किले इलाके में बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा अतिक्रमण • जागरण

इसके बाद साल 2001 में किले की जमीन पर अवैध तरीके से प्लाटिंग और कब्जा किए जाने के विरोध में कुछ लोगों द्वारा उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। कई सालों बाद साल 2016 में उच्चतम न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया और मामले को दिल्ली हाईकोर्ट के पास भेज दिया। साथ ही इस मामले की मानिटरिंग करने का आदेश भी दिया। तब से लगातार हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन था और इस साल अब 24 अप्रैल को कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया। इससे पहले जनवरी माह में एएसआइ ने करीब एक हजार घरों के बाहर जमीन को खाली करने के लिए नोटिस लगाया था और अपने खर्च पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वहीं, सुनवाई के दौरान एएसआइ ने हाईकोर्ट को बताया कि विभाग द्वारा जनवरी में किले की जमीन पर बनीं 1248 झुग्गियों पर नोटिस चिपकाए गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस, एमसीडी, डीडीए के सहयोग के बिना वह अवैध संरचनाओं को हटाने में सक्षम नहीं थे। 24 अप्रैल को हाईकोर्ट ने एएसआइ को तुगलकाबाद किले में अतिक्रमण को हर हाल में चार सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दे दिया। रविवार से ये कार्रवाई शुरू की गई है।

अतिक्रमण-रोधी अभियान पर रोक लगाने से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तुगलकाबाद इलाके से अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने पुनर्वास के मुद्दे पर कुछ नागरिकों की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और केंद्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा, कल आइए। हम इसे पहले मामले के तौर पर लेंगे। वे बताएं कि जमीन उनकी है। अगर आप नरेला की तरफ जाने को तैयार हैं, तो हम उनसे कह सकते हैं। केंद्र सरकार, एएसआइ और दिल्ली विकास प्राधिकरण को नोटिस भेजा जाए। हम (अतिक्रमण-रोधी अभियान पर) रोक नहीं लगा रहे हैं।

कुछ नागरिकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने पहले इस मामले का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष किया, जिन्होंने इसे जस्टिस खन्ना के समक्ष रखने की अनुमति दे दी। गोंजाल्विस ने पीठ के समक्ष कहा कि तुगलकाबाद किले के आसपास के इलाकों को साफ करने का आदेश दिया गया है और दिल्ली सरकार ने नागरिकों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास की पेशकश की है। उन्होंने कहा, यह एक मानवीय समस्या है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NEW DELHI
TUESDAY
MAY 02, 2023

Hindustan Times

Day 2 of anti-encroachment drive at Tughlaqabad, residents in lurch

Sadia Akhtar
sadia.akhtar@htlive.com

NEW DELHI: Shameem Akhtar moved to Delhi from Varanasi more than two decades ago in search of work. The 65-year-old went from odd-jobs in the first few years to selling fruits and vegetables in Tughlaqabad's Chhuriya Mohalla where he lived on rent for years. Around three years ago, Akhtar purchased land in the same colony and constructed a two-room house to live with his family. On Monday, his house was razed as the Archaeological Survey of India (ASI) continued its demolition drive in the Bengali colony area in Tughlaqabad village for the second consecutive day — a move that has once again brought into focus the conflict between illegal encroachments one on side and years of land misuse resulting in families being uprooted with nowhere to go on the other.

Several houses in the vicinity were demolished by Monday evening although ASI and the district administration did not share details about the number of houses razed. Akhtar is among hundreds who say they have been rendered without a roof over their heads.

Some residents say they were handed powers of attorney as proof of the validity and legality of their ownership. This, in effect, has resulted in some residents battling the demolition drive with these papers, arguing that they were misled and given little time to relocate.

"For years, we lived on rent here. I saw the number of houses multiply but no one intervened to stop the sale of land. We were given a power of attorney and made to believe that nothing would happen to our houses. But suddenly, without any advance notice, agencies brought down my house. They did not even give me sufficient time to collect my belongings," alleged Akhtar.

ASI officials earlier told HT that the Delhi Development Authority (DDA) handed over to it an area of 2,661 bighas around the Tughlaqabad Fort for maintenance in 1995. According to Section 19 of The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, no person, including the owner or occupier of a protected area, shall construct any building within the protected area. In addition, Section 20 of the same Act prohibits new construction activity within 100 metres in all directions of the prohibited area.

Over the years, the land around the fort was encroached upon, and a legal battle ensued after a public interest litigation (PIL) was lodged by SN Bhardwaj in 2001, seeking protection of the fort premises. Subsequently, the Delhi high court ordered the removal of encroachments. In February 2016, the Supreme Court declared the entire Tughlaqabad Fort as protected, and directed ASI to stop land-grabbing and encroachment there.

On November 24 last year, the high court granted six weeks as the "last indulgence" to ASI to remove encroachments in and around the Tughlaqabad Fort. On January 11 this year, ASI pasted 1,248 notices on houses in Churriya Mohalla, directing residents to vacate the area within 15 days failing which their houses would be demolished. Last Monday, the high court directed ASI to remove encroachments within four weeks.

"Over 100 bighas of land was cleared over the past two days. More than 1,500 permanent and semi-permanent structures were demolished," said special commissioner of police (law and order) Sagar Preet Hooda.

ASI officials did not respond to HT's queries about the operation. Isha Khosla, district magistrate (south-east) did not respond to queries seeking comment.

On Monday, when HT visited the neighbourhood, residents were seen scrabbling through the debris as they attempted to salvage their belongings. Some sat on the remains of their demolished houses while others took shelter on the main road.

Parul (one name), 40, has been living in the area for the past 25 years. She said that the demolition took everyone by surprise since no fresh notice was served after January.

"We were under the impression that the court has given relief for four weeks. However, the bulldozers arrived suddenly and started demolishing our houses," she said.

Originally from Kolkata, Parul works as a domestic help in CR Park area, and has six family members including four children. **With no roof over their heads, the family was trying to urgently find a place on rent.**

"I don't know for how long can we survive in the open on an empty stomach. We tried looking for places on rent but everywhere landlords have increased the rent. They are asking 10,000-12000 a month. This is way beyond our earnings," she said.

Delhi urban development minister Saurabh Bhardwaj raised concerns over the displacement of people, and sought their rehabilitation. Bhardwaj said that the "central government's ASI" had destroyed the houses of innocent people. He also sought land from the Centre for rehabilitating the displaced people.

"... the court should pay attention to the fact that the central government's ASI or DDA should provide the land to the Delhi government so that the state government can come up with a rehabilitation plan on that land and make an alternative arrangement for these people to live," said Bhardwaj.

Ishrat Khatoon, from Patna in Bihar, has been living in the area for the past 10 years.

Khatoon, 50, said that the demolition took everyone by surprise, and alleged that it was initiated without any prior intimation. "A notice was given in January but no drive was undertaken. Dealers who sold us the land said that our houses were safe and nothing would happen. More than three months had lapsed since the last notice which gave us an impression that our houses are safe. However, without sending a fresh notice and giving us sufficient time to vacate, bulldozers started razing down our house," alleged Khatoon.

She alleged that people were tricked into buying land by local politicians and government officials from different agencies. "We were never told that the land was government property. Why would anyone allow their hard-earned money go waste? A colony cannot come up without the complicity of officials."

The demolished structures in the wake of the anti-encroachment drive on Monday. SANCHIT KHANNA/HT

The case timeline

- **1995** — DDA hands over 2,661 bighas of land around Tughlaqabad Fort to ASI for maintenance
- **1996-98** — Land around the fort is encroached upon
- **2001** — SN Bhardwaj files a PIL, seeking protection of the fort area
- **February 2016** — Supreme Court declares the entire Tughlaqabad Fort as protected, directs ASI to not allow any land-grabbing or encroachment
- **November 24, 2022** — Delhi high court grants ASI six weeks as the "last indulgence" to remove encroachments
- **January 11, 2023** — ASI pastes 1,248 notices on houses, directing residents to vacate the area within 15 days
- **April 24** — HC directs ASI to remove encroachments within four weeks
- **April 30** — Anti-encroachment drive begins

WHAT THE LAW SAYS

As per Section 19 of The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, no person, including the owner or occupier of a protected area, shall construct any building within the protected area. In addition, Section 20 of the same Act prohibits new construction activity within 100 metres in all directions of the prohibited area.

SC declines to stay drive at Tughlaqabad

NEW DELHI: The Supreme Court on Monday declined to stay the anti-encroachment drive around the Tughlaqabad Fort area.

The court was hearing a plea filed by a resident, seeking relief from the drive in the southeast Delhi area. The counsel of the petitioner mentioned the plea before the Supreme Court and sought an urgent hearing, and as an interim relief, sought to stay the demolition drive.

The court, however, said it will not stay the drive, adding that it would take it up on Tuesday. The court also issued a notice to the Centre, Archaeological Survey of India, the DDA and others on the plea. AGENCIES

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------- * THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, MAY 2, 2023 --DATED----------

Sum Of All Tears As Bulldozers March In

Amid Heavy Rain, Several Labourers Left Homeless At Tughlaqabad Fort

Photos: Anindya Chattopadhyay

Ridhima.Gupta@timesgroup.com

New Delhi: It was ironic but on International Labour Day on Monday, the houses of thousands of unorganised labourers were demolished in Tughlaqabad village in south Delhi. Undeterred by the heavy rains that brought the city to a halt, the Archaeological Survey of India and Municipal Corporation of India undertook the second day of demolitions after Delhi High Court directed the removal of encroachments at the Tughlaqabad Fort areas last week.

Tughlaqabad village had the appearance of an apocalyptic landscape on Monday, with furniture, clothing, household items and toys strewn around. Most of the migrant workers who had made homes there were aghast, many of them still weeping at their misfortune, and almost all of them claiming to have lived in that locality for many years, some even three decades.

Standing on a mountain of rubble, Sonia, 32, who came to Delhi from Mahoba in Uttar Pradesh, said, "These are the remains of my house. I worked long shifts as a nurse to save money and build a house for my widowed mother." Saying that the majority of families were below-poverty-line households, Sonia said, "The address on the Aadhaar and ration cards of most residents is this place. We have voted in this locality. But now they are calling us encroachers. If the government wants to punish those who took over government land, they should go after the people who sold these plots to us."

Many other families had similar claims. Indeed, it was under the eyes of officialdom that the houses came up. The predominantly migrant families bought land that was offered to them and they built their houses, little knowing that they had become illegal occupiers of ASI land. Single mother Varsha, 30, a domestic worker in Chittaranjan Park, held up the electricity bill and demanded to know why, if they were illegally living there, had the government provided her electricity and water connections when the house was built in 2019 on a plot that cost her Rs 2 lakh.

Tughlaqabad village had the appearance of an apocalyptic landscape, with furniture, clothing, household items and toys strewn around

But there was no respite. Even the Supreme Court refused on Monday to stay the demolition drive, leaving the people distressed. For Shipra Mehta, 42, another domestic worker, it's not even a year and a half since she bought her house for Rs 3 lakh. "I borrowed money and used all my savings to buy this house. My husband doesn't work so I single-handedly built this house," mourned Mehta, eyeing the ruins before her. Accusing civic officials of connivance in their deception, Mehta said she and others had been regularly paying money to the local cops and middlemen who assured them nothing would happen to their houses.

The demolition of the decades-old informal settlement took place at short notice, catching most residents with surprise. According to ASI officials, the orders were to clear the area by Monday itself. "We can't stop because of the rains," said one of them.

Ajay Das and Kinki Das, both from West Bengal, claimed that they were at work on Sunday, when the authorities disconnected the power connection and bulldozers lined up the lane. "We were told to empty the house in two hours. We gathered whatever we could and stored it in the open near the jungle. The rain must have damaged our belongings," said Kinki.

Ajay, who is a driver, said his two children, class IX and X students, would suffer more. "On Sunday, I was supposed to attend the parent-teacher meeting at my younger son's school but couldn't. We can't even send him to school for a few days because my kids' uniforms are missing in the mayhem," he said. Many other parents too fretted about their children's education, desperate as they were first to find some accommodation before being able to send the kids to school.

SC refuses to stay demolition drive

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Supreme Court on Monday refused to stay a demolition drive to remove encroachment from the Tughlaqabad area in south Delhi but agreed to examine rehabilitation of encroachers and gave them an option whether they wanted to shift to Narela in north Delhi.

As the demolition was on, senior advocate Colin Gonsalves, appearing for the residents, rushed to the apex court for an urgent hearing and he mentioned the issue before Chief Justice D Y Chandrachud who asked him to mention it before Justice Sanjiv Khanna's bench in court number 7.

Gonsalves then appeared before a bench of Justices Sanjiv Khanna and Justice M M Sundresh who agreed to grant him out of turn hearing and asked him to inform Delhi government and took up the case. The senior advocate contended that the residents were living there for the last 40 years and they have to vacate as it's government land but pleaded that demolition be stopped till alternate arrangement is made for them.

The bench, however, said that staying of the demolition would have consequences and such relief could not be granted. Expressing concern over large encroachment across the national capital, the court said that 60% land of Delhi Development Authority has been encroached and there is no land with Delhi government for rehabilitation.

The bench said that if the residents would like to shift to Narela side then it can ask the authority to rehabilitate them there. "If you want to go to Narela side then we ask them to accommodate you there. Take instruction," the bench said and posted the hearing for Tuesday. It issued notices to the Centre, Archaeological Survey of India and Delhi Development Authority on the plea filed by some residents.

ASI or DDA must provide land to prepare rehab plan: Bharadwaj

New Delhi: Expressing concern over the demolition of houses in Tughlaqabad Fort area as part of an anti-encroachment drive, urban development minister Saurabh Bharadwaj on Monday said the central government's Archaeological Survey of India (ASI) or Delhi Development Authority should provide land to Delhi government to prepare a rehabilitation plan and provide alternative housing to the affected families.

Bharadwaj also said that action should be taken against officials whose negligence led to the encroachment and against the land mafia who sold plots to the unsuspecting people in the area.

The minister claimed that "ASI failed to protect its own land and due to its carelessness and oversight, the land mafia sold the plots."

"If these houses are destroyed, thousands of people will come on the streets. Due to homelessness, people who have jobs nearby and whose children attend nearby schools will dwell in modest shanties on the city's flyovers and footpaths. This can become a big problem for Delhi," Bharadwaj said.

Former deputy CM Manish Sisodia had in February directed chief secretary Naresh Kumar to identify a piece of land nearby and prepare a rehabilitation plan for the families facing eviction notice. There was no immediate reaction from the government if the land was identified and a rehabilitation plan prepared. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 2 मई 2023 ATED----------

राहत नहीं, बारिश में हुए बेघर

तुगलकाबाद किले की ज़मीन पर बने घरों और दुकानों को ढहाया

■ एनबीटी न्यूज, तुगलकाबाद

ऐतिहासिक स्मारक तुगलकाबाद किले की बाउंड्री के अंदर और बाहर अवैध रूप से बनी स्लम कॉलोनी के खिलाफ सोमवार को भी एक्शन लेते हुए कई घरों और दुकानों को ढहा दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की बताई गई 1247 प्रॉपर्टीज के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से रविवार को शुरू हुई कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। हाई कोर्ट के निर्देश पर एएसआई, जिला प्रशासन और एमसीडी की संयुक्त कार्रवाई में सभी अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है।

1247 अवैध निर्माणों के खिलाफ रविवार को शुरू हुई कार्रवाई

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम-1958 में संरक्षित स्मारकों से 100 मीटर के दायरे के भीतर के क्षेत्र को 'निषिद्ध क्षेत्र' घोषित किया गया है। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की मनाही है। एएसआई के एक अधिकारी ने बताया कि नियमों के बावजूद तुगलकाबाद किले की करीब 15 सौ बीघा जमीन में अवैध रूप से प्रॉपर्टीज का निर्माण किया गया है। एएसआई ने कार्रवाई से पहले 14 अप्रैल को सभी 1247 अवैध निर्माणों के खिलाफ नोटिस जारी करके इन्हें खाली करने की चेतावनी दे दी थी। किले की जमीन पर बनी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल 2 किमी से अधिक क्षेत्र में तैनात थे। 10 से अधिक बुलडोजर कई मंजिला बने निर्माणों को ढहाने में जुटे हुए देखे गए थे। मौके पर एएसआई, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे। कार्रवाई किसी भी धार्मिक स्थल के खिलाफ नहीं की गई है। वहां दर्जन से अधिक छोटे-बड़े मंदिर भी बन गए थे। मंदिर को ढहाया नहीं गया है।

नोटिस जारी करके इन्हें खाली करने की चेतावनी दी थी

'हमने चोरी नहीं की, ज़मीन खरीदकर बनाया था मकान'

■ **राम त्रिपाठी, तुगलकाबाद:** 'हम यहीं पैदा हुए हैं', 'गलत थे तो पहले क्यों नहीं रोका', 'खाकी से लेकर सफेद कपड़े वाले सभी ने घूस ली है', 'हमें बेघर कर दिया गया। दोषी कौन? हम या वे'... ये आवाजें हैं तुगलकाबाद किले की जमीन पर ढहाई गई संपत्तियों के मलबे के करीब खड़े लोगों की। चीख-पुकार के बीच वे पूछ रहे हैं कि उन्हें न्याय कौन देगा? हमने चोरी नहीं की। जमीन खरीदकर मकान बनाया था।

किले की जमीन में अवैध रूप से बंगाली मोहल्ला, सूर्या मोहल्ला, घुरिया मोहल्ला और बंगाली कॉलोनी आदि के नाम से कई छोटे मोहल्ले बन गए थे। उनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और राजस्थान आदि से आए अधिसंख्य मजदूर वर्ग के लोग रह रहे थे। सबसे अधिक बंगाल के लोग थे।

'हमारे साथ जुल्म हुआ है। हमारे बच्चे यहां पर हुए। कोई किराये पर तो कोई अपने एक कमरे के मकान में रह रहा था। तब कोई कुछ नहीं बोला। अब एकदम से हमारा घर उजाड़ दिया है...' यह कहते हुए शाबिया अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए टूटे घर के मलबे में बैठकर सुबकने लगती हैं। बदायूं (यूपी) की मनीषा बेहद गुस्से में कहती हैं, 'हमने 20 लाख में 125 गज जमीन खरीदी थी। मकान बनाया तो सब घूस लेने आ गए थे। तब क्यों नहीं रोका।' उनके बगल में खड़ी बिहार की शिबो कहती हैं, 'पूरी जिंदगी दिल्ली में गुजार दी। एक साल पहले यहां मकान खरीदा था। 10 हजार रुपये गज के हिसाब से 50 गज का मकान था। अब मिट्टी हो गया।' यह कहते हुए वे बुरी तरह से फफककर रोते हुए कहती हैं, 'कल से बच्चे भूखे-प्यासे हैं। खाना तक नहीं बन पाया है।' उसी समय कई युवाओं का शोर गूंजता है- 'क्या बताएं। हमें तो बर्बाद कर दिया है।'

सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

■ **विस, सुप्रीम कोर्ट:** तुगलकाबाद इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नागरिकों की ओर से अर्जी दाखिल की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में केंद्र सरकार, एएसआई और डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

लोगों के रहने के लिए हो वैकल्पिक व्यवस्था : दिल्ली सरकार

■ **विस, नई दिल्ली:** तुगलकाबाद में चल रहे तोड़फोड़ अभियान पर दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि केंद्र सरकार की एएसआई तुगलकाबाद में बेकसूर लोगों के घरों को उजाड़कर दिल्ली के लोगों पर एक बड़ा संकट खड़ा कर रही है। लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय केंद्र सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें, जिनकी लापरवाही से इन जमीनों पर कब्जा हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। उजाड़ने से पहले उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। सौरभ ने कहा कि पिछले कुछ हफ्ते पहले जब यह मामला हाई कोर्ट में आया था, तो दिल्ली सरकार के वकीलों ने कहा कि एएसआई ने इतने सालों तक अपनी जमीन को संभालकर नहीं रखा। यह सारी गलती और लापरवाही एएसआई की है, जिसने भू-माफियाओं को इस जमीन को काट-काटकर बेचने दिया। ना जानते हुए लोगों ने यहां जमीन खरीदकर घर बनाए हैं, अब एएसआई सालों बाद जागी है और घरों को तोड़कर कर हजारों लोगों को बेघर कर रही है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कुछ समय दिया था मगर कुछ दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यह मामला दोबारा गया और कोर्ट ने इन मकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया।

सौरभ ने कहा, सारी गलती और लापरवाही एएसआई की

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 2 मई, 2023 -DATED----------

किले की जमीन से हटाए जा रहे निवासियों के बचाव में आई सरकार

- दिल्ली सरकार ने प्रभावितों के पुनर्वास के लिए एएसआइ व डीडीए से की जमीन मुहैया कराने की मांग
- दिल्ली सरकार ने इसे लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिख कर प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर जताई चिंता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के तहत आ रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा तुगलकाबाद में किला की जमीन पर हटाई जा रही कालोनी में रहने वालों के समर्थन में आ गई है। दिल्ली सरकार ने वहां चल रही तोड़फोड़ से प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर चिंता व्यक्त की है। साथ ही केंद्र सरकार की एएसआइ या डीडीए से दिल्ली सरकार को जमीन मुहैय्या कराने की मांग की है, ताकि दिल्ली सरकार पुनर्वास योजना तैयार कर इन प्रभावित लोगों के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने एएसआइ को पत्र लिखा है।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि तुगलकाबाद में लोगों के घरों को उजाड़कर दिल्ली और दिल्ली के लोगों पर एक बड़ा संकट खड़ा किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि तुगलकाबाद में केंद्र सरकार द्वारा इन लोगों के घरों को उजाड़ना तो आसान है, मगर इन्हें बसाने का काम बहुत बड़ा है। दिल्ली सरकार ने इन लोगों को बेकसूर बताया है। कहा कि इन लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय केंद्र सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे, जिनकी लापरवाही से इन जमीनों पर कब्जा हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। लोगों के घरों को उजाड़ने से पहले उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए।

शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से एएसआइ को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कई दिनों से ये बात सामने आ रही है कि एएसआइ तुगलकाबाद के आसपास रहने वाले लोगों के घर उजाड़ने के लिए कोर्ट के रास्ते गई है। अब केंद्र सरकार की संवेदनहीनता के चलते, कोर्ट ने उन घरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। पिछले कुछ सप्ताह पहले जब यह मामला हाईकोर्ट में आया था, तो दिल्ली सरकार के वकीलों ने कहा कि एएसआइ ने इतने वर्षों तक अपनी जमीन को संभालकर नहीं रखा। ऐसे में यह सारी गलती और लापरवाही एएसआइ की है, जिसने भू-माफियाओं को इस जमीन को काट-काटकर बेचने दिया। आज जिन लोगों ने इस जमीन को खरीदकर अपने छोटे-छोटे घर बनाए हैं, अब एएसआइ वर्षों बाद जागी है और घरों को ध्वस्त कर हजारों लोगों को बेघर कर रही है। यह बात सुनने के बाद कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को कुछ समय दिया गया था। मगर कुछ दिनों पहले दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर यह मामला दोबारा आया और कोर्ट ने केंद्र सरकार की बातों को मानते हुए इन मकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया।

उचित कार्रवाई

>> संपादकीय

दक्षिणी दिल्ली में तुगलकाबाद किला क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जारी कार्रवाई सर्वथा उचित है। इस ऐतिहासिक किले के रखरखाव के लिए 1995 में केंद्र सरकार ने डीडीए से 2,661 बीघा भूमि लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को सौंपी थी, लेकिन निराशाजनक यह है कि स्थानीय माफिया और प्रशासन व एएसआइ के तत्कालीन अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से 25 वर्षों में इस भूमि के आधे से अधिक हिस्से में अतिक्रमण कर लिया गया। अतिक्रमणकारियों को समय-समय पर एएसआइ की ओर से नोटिस भी दिए गए, लेकिन स्थिति जस की तस रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने पिछले साल निर्णय दिया कि किले की भूमि को कब्जाधारकों से मुक्त कराया जाए। ऐसे में अदालती आदेश पर की जा रही कार्रवाई के बीच में राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

तुगलकाबाद किला क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई में राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए

इसमें दो राय नहीं कि जिन लोगों ने यहां अतिक्रमण किया, एएसआइ से समय-समय पर मिल रहे नोटिसों के कारण वे जानते थे कि उनका यहां रहना अवैध है, फिर भी उन्होंने पक्के घर तक बना रखे थे। ऐसे में उनपर की जा रही कार्रवाई के लिए वे स्वयं अधिक जिम्मेदार हैं। इस कार्रवाई के साथ ही अदालत को यह भी पता करना चाहिए कि इन लोगों के यहां बसने के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सरकारी भूमि पर कब्जा करवाने वालों को भी उनके किए का दंड दिया जा सके।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
NAME OF NEWSPAPERS--------- नई दिल्ली, 2 मई, 2023 ----------DATED----------

आपदाओं से निपटने को दिल्ली में बनेगा आपातकालीन केंद्र

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

- भूकंप, आंधी-तूफान, तेज वर्षा, आगजनी और महामारी के दौरान बचाव कार्य में होगा मददगार
- एलजी के निर्देश पर डीडीए ने शालीमार बाग में एक हेक्टेयर जमीन की आवंटित

आपदाओं से निपटने के लिए दिल्ली में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) बनेगा। यह केंद्र भूकंप, आंधी-तूफान, तेज वर्षा, अगलगी और महामारी के दौरान त्वरित बचाव कार्य में मददगार होगा। एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर डीडीए ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग में इस केंद्र के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को एक हेक्टेयर जमीन भी आवंटित कर दी है। जल्द ही इस जमीन का कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। संभावना है कि यह केंद्र लगभग दो वर्ष में बन जाएगा।

इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय परिसर में चल रहा आपदा मित्र वाले स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देते प्रशिक्षक • सौ. डीडीएमए

शालीमार बाग में जल्द ही हमें ईओसी के लिए जमीन का कब्जा मिल जाएगा। इसके साथ ही वहा पर इसके निर्माण की प्रक्रिया गति पकड़ लेगी। ईओसी के साथ इसी भवन में डीडीएमए का मुख्यालय बनेगा। यहां हर वह सुविधा होगी, जिससे किसी भी आपदा में सहायता की जा सके।

सुशील सिंह, विशेष मुख्य कार्याधिकारी, आपदा प्रबंधन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के निर्देशानुसार हर राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) का अपना मुख्यालय और आपातकालीन केंद्र होना चाहिए। कहने को यह दिल्ली में है जरूर, पर अस्थायी तौर पर पांच, शामनाथ मार्ग स्थित भवन में दिल्ली सरकार के अन्य कार्यालयों के साथ ही इसको भी कुछ जगह मिली हुई है। पिछले दिनों राजनिवास में एलजी और सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में इस विषय में विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। मसलन, भूकंप के लिहाज से दिल्ली का सिस्मिक जोन चार में आना, अनधिकृत कालोनियों में संकरी सड़कें होना, जहां आपदा की स्थिति में वाहनों और लोगों की आवाजाही "लगभग असंभव" होना, बड़ी संख्या में इमारतें असुरक्षित होना, उनका सर्वेक्षण भी नहीं होना और इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जरूरत होना। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि दिल्ली में अन्य महानगरों की तरह राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) नहीं है। एनडीआरएफ ने ही 1,176 जवानों की एक बटालियन दिल्ली को दे रखी है। साथ ही इस पर भी विचार हुआ कि डीडीएमए को अपनी 'आपदा मित्र' योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। बैठक में तय किया गया कि डीडीएमए 1,800 स्वयंसेवकों को बुनियादी राहत कौशल व बचाव उपायों में प्रशिक्षित करेगा, ताकि वे आपदा की स्थिति में समुदायों की मदद कर सकें।

जानकारी के मुताबिक डीडीएमए ने बीएसएनएल के माध्यम से एनडीएमए के परामर्श से 53 सेटेलाइट फोन भी खरीद लिए हैं, जो किसी भी ऐसी स्थिति में, जब संचार व्यवस्था ठप हो जाए, अहम साबित हो सकते हैं। एनडीआरएफ के परामर्श से सभी 11 जिलों के लिए इमारत गिरने, पेड़ों को उखाड़ने और अन्य आपदाओं से संबंधित प्रभावी और त्वरित रिस्पांस के लिए उपकरण भी खरीदे जा रहे हैं। आपदा मित्र स्वयंसेवकों का इन दिनों द्वारका के इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय परिसर में प्रशिक्षण भी चल रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAP Hindustan Times | NEW DELHI
TUESDAY
MAY 02, 2023

2nd leg of Yamuna cleaning begins from ITO to Okhla

Sanjeev K Jha
sanjeev.jha@hindustantimes.com

NEW DELHI: Cleaning work of the Yamuna entered the second phase on Monday covering the 11km stretch between ITO and Okhla barrage, even as lieutenant governor VK Saxena said that the river ghats and floodplains located within the city limits will be cleared up by June 30.

Several agencies, including the Delhi Jal Board, DDA, PWD, and DUSIB, are involved in the clean-up, which started with an 11km stretch between the Signature Bridge and ITO on February 12.

According to officials, the cleaning operation in the second phase will be different from the first as the current stretch has less municipal solid waste (MSW) as compared to the stretch between Signature Bridge and ITO.

Meanwhile, LG Saxena, who heads a committee formed by the National Green Tribunal tasked to look into Yamuna's pollution, said that the ongoing cleaning operations in the Yamuna have led to improvements in the river across various parameters. "In the second phase of cleaning operation, we will focus on transformation through cleaning of Yamuna banks and desilting of midstream muck. The cleaning of Najafgarh drain has also yielded desired results as the biological oxygen demand (BOD) level in the drain has shown a consistent decline... Since the BOD levels in the stretch falling in the second phase are already less than the areas covered in the first phase, we'll put more attention on desilting. For this, we'll use a mechanised conveyor system," Saxena said in a statement.

Officials in the LG secretariat said the second stretch has been divided into three parts — ITO to Nizamuddin bridge, Nizamuddin bridge to DND flyway, and DND flyway to Okhla barrage.

An official said that to measure pollution levels, samples collected from the stretch were sent to the Delhi Pollution Control Committee, the results of which are awaited. "Like the first phase, all the drains and sub-drains falling into the river will also be trapped. We'll also ensure treatment of 727 million gallons a day — 95% of the sewage generated in Delhi — by June 30," the official said.

Bhim Singh Rawat, a Yamuna activist and a member of South Asia Network on Dams, Rivers and People, said focus should be to control pollution. "...we need to trap all the drains so that no sewage or industrial waste reaches the Yamuna," he said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS हिन्दुस्तान ----------DATED----------

तुगलकाबाद में तोड़फोड़ पर रोक नहीं: कोर्ट

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तुगलकाबाद किले और उसके आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने पुनर्वास की मांग पर सुनवाई करने के लिए सहमति देते हुए केंद्र सरकार, एएसआई और दिल्ली विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है।

जस्टिस संजीव खन्ना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने तोड़फोड़ की कार्रवाई से प्रभावित लोगों की याचिका पर यह नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि मंगलवार को इस मसले को पहले मामले के तौर पर लेंगे। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि पहले वे बताएं कि जमीन उनकी है। हालांकि, पीठ ने कहा कि यदि आप (याचिकाकर्ता) नरेला की तरफ जाने को तैयार हैं तो हम उनसे (सरकार व अन्य संबंधित पक्ष) इस बारे में कह सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि कार्रवाई पर हम रोक लगाने नहीं जा रहे हैं।

वहीं, दूसरे दिन सोमवार को भी अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई जारी रही। अवैध निर्माण को ढहाया गया। जिसको लेकर लोगों के बीच आक्रोश भी है। इलाके में दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल व रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की भारी संख्या में तैनाती रही। अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर कई जेसीबी मशीनें व किसी अनहोनी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत आंसू गैस वाहन मौजूद रहे।

तुगलकाबाद किले क्षेत्र में सोमवार को भी भारतीय पुरातत्व विभाग के दस्ते की ओर से कार्रवाई की गई। अपना सामान बंटोरती महिला। ● हिन्दुस्तान

पुनर्वास के लिए भूमि दे केंद्र: भारद्वाज

नई दिल्ली, प्र. सं। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तुगलकाबाद में तोड़फोड़ से प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र से मांग रखी है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) और डीडीए से जमीन मुहैया कराने की मांग की है।

भारद्वाज ने कहा कि एएसआई के लिए तुगलकाबाद में लोगों के घरों को उजाड़ना तो आसान है, मगर इन्हें बसाने का काम बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गरीब लोगों के घरों को उजाड़ने से पहले उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि एएसआई को उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिनके संरक्षण में यह कब्जा हुआ।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, MAY 2, 2023

PWD to take up beautification, repair work on Aurobindo Marg

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Public Works Department (PWD) will take up repairs and beautification of the entire Aurobindo Marg and two other South Delhi roads.

According to the PWD, work will be done on the bitumen layer of the road. The central verge will be repaired and footpaths cleaned and repaired, wherever required.

According to the PWD's website, the last resurfacing of the 4.38-km road was done in 2008, the road was constructed by the DDA and then later handed over to the PWD.

The road starts from Press Enclave Road T-Junction and ends at Anuvrat Marg. In between, it passes through Green Part Extension and Lado Sarai areas.

The South East Road division, along with this, will see the same work at Harsukh Marg, also known as Safdarjung Enclave Road. This road is 2-km-long and Chaudhary Jhandu Singh Marg, which starts from Africa Avenue Marg and goes up to Raj Nagar red light, is part of the same project.

All the roads are critical to South Delhi commuters.

After that, the fresh layer will be laid the thickness of the road will increase and any unevenness will be removed.

Aurobindo Marg currently has several spots where there is waterlogging. This and other issues on this main road will be fixed, according to PWD.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। मंगलवार • 2 मई • 2023

राष्ट्रीय सहारा

अतिक्रमण-रोधी अभियान पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहे अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने पुनर्वास के मुद्दे पर सुनवाई पर सहमति जताते हुए कुछ नागरिकों की याचिका पर केंद्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और दिल्ली विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया।

पुनर्वास के मुद्दे पर सुनवाई पर सहमति जताते हुए कुछ नागरिकों की याचिका पर केंद्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और दिल्ली विकास प्राधिकरण को जारी किया नोटिस

पीठ ने कहा, ''कल आइए। हम इसे पहले मामले के तौर पर लेंगे। वे बताएं कि जमीन उनकी है। अगर आप नरेला की तरफ जाने को तैयार हैं तो हम उनसे कह सकते हैं।' उसने कहा, 'केंद्र सरकार, एएसआई और दिल्ली विकास प्राधिकरण को नोटिस भेजे जाएं। हम रोक नहीं लगा रहे।'

कुछ नागरिकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने पहले मामले का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष किया, जिन्होंने इसे न्यायमूर्ति खन्ना के समक्ष रखने की अनुमति दे दी।

गोंजाल्विस ने पीठ के समक्ष कहा कि तुगलकाबाद किले के आसपास के इलाकों को साफ करने का आदेश दिया गया है और दिल्ली सरकार ने नागरिकों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास की पेशकश की है।,उन्होंने कहा, ''यह मानवीय समस्या है। कृपया यथास्थिति बहाल कीजिए। 1,000 घर पहले ही गिराए जा चुके हैं और 1,000 अब गिराए जाएंगे।' शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मंगलवार को मामले में सुनवाई करेगी।

the pioneer

DATED- TUESDAY | MAY 2, 2023

Anti-encroachment drive in Tughlakabad: resettle displaced people, says Saurabh

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi government has expressed concern over the rehabilitation of thousands of poor affected due to the demolition in Tughlakabad area of south Delhi by the Archaeological Survey of India (ASI) and demanded that an alternative arrangement or rehabilitation plan put in place before demolition.

Delhi Urban Development Minister Saurabh Bhardwaj also demanded that the Centre (ASI and the DDA) should provide land to the Delhi government, so that the Delhi Government can prepare a rehabilitation plan and make alternative arrangements for the living of these innocent people.

Bharadwaj said that the Delhi government will move an application in the Supreme Court with a plea that action should be taken against officials involved in allowing encroachment.

"The Delhi government will say the same thing before the Supreme Court that it is easy for the central government to destroy the houses of these people, but the task of rehabilitating them is huge.

We want that instead of taking action against innocent people, action should be taken against those officials, whose negligence led to the encroachment of these lands and people who earned crores of rupees".

"Innocent people have built houses here by buying land without knowing it. Today, by destroying their houses, a big crisis is being created for Delhi and the people of Delhi.

The central government should have sympathy towards the poor people. Bhardwaj said that a major crisis looming large for the national Capital and the people of Delhi who facing removal of their residential structures by ASI.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI 2 मई, 2023 ▶ मंगलवार

केंद्र और एएसआई को भेजा नोटिस | मंगलवार को मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

तुगलकाबाद: अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके से अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए गए विध्वंस अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पुनर्वास के मुद्दे पर मामले की सुनवाई के लिए सहमत होते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कुछ निवासियों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नोटिस जारी किया है।

तुगलकाबाद इलाके में अतिक्रमण अभियान के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कहा, 'कल आइए हम इसे पहले मामले के तौर पर लेंगे। वे बताएं कि जमीन उनकी है। अगर आप नरेला की तरफ जाने को तैयार हैं तो हम उनसे कह सकते हैं।' पीठ ने कहा, 'केंद्र सरकार, एएसआई और दिल्ली विकास प्राधिकरण को नोटिस भेजे जाएं। हम रोक नहीं लगा रहे।' उन्होंने

कहा, 'यह मानवीय समस्या है। यथास्थिति बहाल कीजिए। 1,000 घर पहले ही गिराये जा चुके हैं और 1,000 अब गिराये जाएंगे।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि तुगलकाबाद किला इलाके में रविवार को दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमणरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से निर्मित पक्के मकान और झुग्गियां इत्यादि ढहाई गईं। अभियान के दौरान किसी भी तरह के उपद्रव आदि से निपटने के लिए तुगलकाबाद किला इलाके में रविवार सुबह से ही दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल व रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया था। इसके साथ ही सिविल डिफेंस के कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान मौके पर दक्षिण पूर्वी जिले की जिलाधिकारी ईशा खोसला, कालकाजी के एसडीएम समेत पुलिस विभाग व निगम के तमाम उच्च अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर कई जेसीबी मशीनें व किसी अनहोनी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत आंसू गैस वाहन आदि भी मौजूद रहे।

गौरतलब है कि अतिक्रमणरोधी अभियान के तहत ओखला गोल चक्कर से गुरु रविदास मार्ग की ओर जाने वाले मार्ग को सुबह से लेकर दोपहर तक बंद रखा गया। वहीं, सीआरसी चौक से तुगलकाबाद किला इलाके की ओर जाने वाले मार्ग पर किसी भी तरह के वाहनों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया। हालांकि पैदल जाने की अनुमति रही।

दिल्ली सरकार ने की वैकल्पिक पुनर्वास की पेशकश

कुछ नागरिकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने पहले मामले का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष किया जिन्होंने इसे न्यायमूर्ति खन्ना के समक्ष रखने की अनुमति दे दी। गोंजाल्विस ने पीठ के समक्ष कहा कि तुगलकाबाद किले के आसपास के इलाकों को साफ करने का आदेश दिया गया है और दिल्ली सरकार ने नागरिकों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास की पेशकश की है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तुगलकाबाद में ध्वस्तीकरण के चलते प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर चिंता व्यक्त की है। साथ ही एएसआई या डीडीए से दिल्ली सरकार को जमीन मुहैया कराने की मांग की है, ताकि दिल्ली सरकार पुनर्वास योजना तैयार कर इन बेकसूर लोगों के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। इस संबंध में दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एएसआई द्वारा तुगलकाबाद में बेकसूर लोगों के घरों को उजाड़कर दिल्ली और दिल्ली के लोगों पर एक बड़ा संकट खड़ा किया जा रहा है। तुगलकाबाद में केंद्र सरकार द्वारा इन लोगों के घरों को उजाड़ना तो आसान है, मगर इन्हें बसाने का काम बहुत बड़ा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED----------

अमर उजाला | दिल्ली | amarujala.com | नई दिल्ली | मंगलवार, 2 मई 2023

प्रभावितों को बसाने के लिए एएसआई व डीडीए से मांगी जमीन

तुगलकाबाद के निवासियों के पुनर्वास के लिए आगे आई केजरीवाल सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। तुगलकाबाद के निवासियों के बचाव के लिए केजरीवाल सरकार आगे आई है। यहां पुरातत्व विभाग की ओर से किए जा रहे ध्वस्तीकरण के चलते प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर चिंता व्यक्त की है। एएसआई व डीडीए से दिल्ली सरकार को जमीन मुहैया कराने की मांग की है, ताकि पुनर्वास योजना तैयार कर इन लोगों के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सके।

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि एएसआई तुगलकाबाद में बेकसूर लोगों के घरों को उजाड़ रही है। इससे दिल्ली के लोगों पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इन लोगों के घरों को उजाड़ना तो आसान है, लेकिन इन्हें बसाने का काम बहुत बड़ा है। इन बेकसूर लोगों पर कार्रवाई करने को बजाय केंद्र सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे, जिनकी लापरवाही से किले की जमीन पर कब्जा हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। लोगों के घरों को उजाड़ने से पहले उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।

चुनी हुई सरकार और दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी परेशानी : सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिन लोगों के बच्चे आसपास के स्कूलों में पढ़ते हैं और जिनके आसपास ही रोजगार हैं, वे बेघर होने की वजह से दिल्ली के फ्लाईओवर और फुटपाथ पर छोटी-छोटी झुग्गियां बनाकर रहेंगे। यह दिल्ली की चुनी हुई सरकार और दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है।

दूसरे दिन भी चला बुलडोजर

तुगलकाबाद में अवैध झुग्गियां तोड़ने की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। अमर उजाला

सोमवार को दूसरे दिन भी तुगलकाबाद में किले की जमीन पर बनी झुग्गियों पर बुलडोजर चला। सुबह से हो रही बारिश के कारण कुछ देर बाद ही कार्रवाई रोक दी गई, लेकिन मंगलवार को फिर से यहां तोड़फोड़ जारी रहने की उम्मीद है। कोर्ट से लोगों को राहत नहीं मिली। एएसआई के सूत्रों की मानें तो झुग्गियों को पूरी तरह से तोड़ने के बाद ही ये अभियान रुकेगा।

'केंद्र की संवेदनहीनता के कारण कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के दिए आदेश'

शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की संवेदनहीनता के चलते कोर्ट ने घरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। पिछले कुछ सप्ताह पहले जब यह मामला हाईकोर्ट में आया था, तो दिल्ली सरकार के वकीलों ने कहा कि एएसआई ने इतने वर्षों तक अपनी जमीन को संभालकर नहीं रखा। ऐसे में गलती और लापरवाही केंद्र सरकार और एएसआई की है, जिसने भू-माफियों को इस जमीन को काट-काटकर बेचने दिया। आज जिन बेकसूर लोगों ने इस जमीन को खरीदकर अपने छोटे-छोटे घर बनाए हैं, अब एएसआई वर्षों बाद जागी है और घरों को ध्वस्त कर हजारों लोगों को बेघर कर रही है। यह बात सुनने के बाद कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को कुछ समय दिया गया था। मगर कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर यह मामला दोबारा आया और कोर्ट ने केंद्र सरकार की बातों को मानते हुए इन मकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया।

बेकसूर लोगों की बजाय अफसरों पर हो कार्रवाई

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बेकसूर लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, जिनकी लापरवाही से इन जमीनों पर कब्जा हुआ और लोगों ने करोड़ों रुपये कमाए। बेकसूर लोगों ने न जानते हुए जमीनों को खरीदकर यहां मकान बनाए।

तुगलकाबाद गांव का कुछ हिस्सा भी किले की जद में

एएसआई के अधिकारी इस मामले पर आधिकारिक रूप से बोलने से इन्कार कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोर्ट का निर्णय है इसलिए ऊपर से कुछ भी बोलने के लिए मना किया गया है लेकिन किले की करीब 1500 बीघा जमीन अवैध रूप से कब्जे में है। तोड़ी जा रही झुग्गियों के अलावा सड़क के दूसरी तरफ स्थित तुगलकाबाद गांव का कुछ हिस्सा भी किले की जद में है। कई आलीशान मकान किले के पिछले हिस्से में बिल्कुल सटे हुए हैं। एएसआई के अधिकारियों की मानें तो इनमें से कई मकान अवैध रूप से बनाए गए हैं, जबकि गांव के लोग दावा करते हैं कि वे लाल डोरे के भीतर हैं।

अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

अमर उजाला ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, एएसआई और डीडीए से मांगा जवाब सुनवाई आज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तुगलकाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। दिल्ली नगर निगम के रविवार को तुगलकाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को चुनौती वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एएसआई और डीडीए से जवाब मांगा है। इस मामले में मंगलवार को विस्तृत सुनवाई होगी।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष वरिष्ठ वकील कालिन गोंजाल्विस ने सोमवार को याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। सीजेआई ने उन्हें जस्टिस खन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख करने का निर्देश दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष गोंजाल्विस ने बताया कि कई साल पहले तुगलकाबाद किले के आसपास के क्षेत्रों को खाली करने का आदेश दिया गया था। दिल्ली सरकार ने निवासियों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास की पेशकश की थी। लेकिन अभी तक रिलोकेशन नहीं किया गया है। इस पर पीठ ने कहा, क्षेत्र में बहुत अधिक अनधिकृत अतिक्रमण था। 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत, मुआवजे की रकम को देखते हुए इतनी भूमि का अधिग्रहण करना अब मुश्किल है।

दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा, रिलोकेशन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने पीठ से कुछ समय देने का आग्रह किया। हालांकि शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई मंगलवार को करने का निर्णय लिया है।

एम्स हटाएगा परिसर से अस्थायी झोपड़ियां

नई दिल्ली। एम्स अपने परिसर स्थित शिव रोड के किनारे बनी अस्थायी झोपड़ियों को हटाएगा। इस संबंध में एम्स निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि शवगृह के पीछे शिवा रोड के किनारे बिजली सबस्टेशन की तरफ बहुत सारी अस्थायी झोपड़ियां मौजूद हैं।

ऐसा लगता है कि अतीत में एम्स नई दिल्ली में काम करने वाले विभिन्न ठेकेदारों ने इन झोपड़ियों का निर्माण अवैध रूप से किया है। एम्स परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे तुरत हटाने की जरूरत है। इसके अलावा ट्रक लॉन्ड्री के सामने भी दिक्कत है, जिससे सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो रहा है। एम्स के शवगृह में आने वाले लोगों को उक्त सड़क पर खड़ा होना पड़ता है और साथ ही शवगृह के पास उनके लिए कोई उपयुक्त प्रतीक्षालय नहीं होता है। ऐसे में इन अस्थायी झोपड़ियों को तुरंत हटाया जाएगा। लॉन्ड्री और शवगृह के बीच सड़क को जोड़ने के लिए शिवा रोड से एक पहुंच बनाई जाएगी।

इसके अलावा, लगभग एक अस्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र भी बनाया जाएगा। मुर्दाघर और लॉन्ड्री बिल्डिंग के बीच 20-30 पैक्स क्षमता बनाई जाएगी ताकि शवगृह में आने वाले आगंतुक वहां प्रतीक्षा कर सकें। यहां पर प्रतीक्षा करने वालों के लिए पीने का पानी, शौचालय आदि की सुविधा होगी और उक्त क्षेत्र की सुरक्षा सीसीटीवी कवरेज द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ब्यूरो